भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 924

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**अनिवासी भारतीय तथा आन्तरिक प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान**

**924. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीय तथा आन्तरिक प्रवासी मतदाताओं के लिए परोक्ष मतदान की अनुमति देने की योजना बना रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) अक्तूबर 2017 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय ने परोक्ष मतदान की प्रक्रिया को परिभाषित किया है, पंजीकरण प्रक्रिया के निर्धरित किसी अन्तिम समय-सीमा का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अनिवासी भारतीयों की परोक्ष मतदान करने की अनुमति कब तक मिलेगी ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ताकि विदेशों में रह रहें मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रुप से मतदान करने हेतु समर्थ बना सकें । आंतरिक प्रवासी मतदाताओं को परोक्ष मतदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**(ख) :** अर्हता तारीख के रुप में 1 जनवरी, 2017 के संदर्भ में अंतिम निर्वाचक नामावली के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विदेशी निवार्चकों का राज्यवार ब्यौरा, जो कि योग्यता की तिथि के साथ उपाबद्ध है । 1 अक्टूबर, 2017 के आंकड़े अर्हता तारीख के रूप में 1 जनवरी, 2018 की निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप देने के पश्चात ही उपलब्ध होंगे ।

**(ग)** **:** संसद द्वारा विधेयक पारित होने के पश्चात परोक्ष मतदान की प्रक्रिया और उसके लिए रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों को भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जायेगा ।

**(घ) :** चूंकि विधेयक संसद के समक्ष है, इसलिए कोई विशिष्ठ समय-सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उपाबंध

**निर्वाचक नामावली आंकडे 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**  | **विदेशी निर्वाचक 2017**  |
|  | **पुरुष** |  **महिला** |  **तृतीय लिंग** |  **कुल** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |  6 |
|  | आंध्र प्रदेश  | 11 | 4 | 0 | 15 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | असम | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | बिहार  | 9 | 1 | 0 | 10 |
|  | छत्तीसगढ़ | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | गोवा | 24 | 11 | 0 | 35 |
|  | गुजरात | 8 | 6 | 0 | 14 |
|  | हरियाणा | 14 | 2 | 0 | 16 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 4 |
|  | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | झारखंड  | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | केरल | 21874 | 1682 | 0 | 23556 |
|  | मध्य प्रदेश | 2 | 3 | 0 | 5 |
|  | महाराष्ट्र | 19 | 12 | 0 | 31 |
|  | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | मेघालय | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | पंजाब | 240 | 124 | 0 | 364 |
|  | राजस्थान | 5 | 1 | 0 | 6 |
|  | सिक्किम  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | तमिलनाडु  | 36 | 13 | 0 | 49 |
|  | तेलंगाना# | 3 | 1 | 0 | 4 |
|  | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | उत्तर प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | पश्चिमी बंगाल | 11 | 10 | 0 | 21 |
|  | अदमान और निकोबार द्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | चंडीगढ़ | 7 | 4 | 0 | 11 |
|  |  दमन और दीव  | 8 | 17 | 0 | 25 |
|  | दादर और नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 27 | 10 | 0 | 37 |
|  | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | पुडूचेरी | 122 | 15 | 0 | 137 |
| **कुल** | **22428** | **1920** | **0** | **24348** |